न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 151/18 उपनिवेशन विविध

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 3 मुख्यालय बज्जु

—प्रार्थी

: ब ना म :

भंगवानसिंह पुत्र सेऊसिंह जाट साकिन समसपुर तह. व जिला झुंझनु।

—अप्रार्थी

उपस्थितिः—

1. श्री विभागीय प्रतितिनिधि — प्रार्थी हाजिर।
2. श्री धनेश खत्री, अधिवक्ता— अप्रार्थी।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

: आदेश :

दिनांक 18.03.2020

1. प्रार्थी स्टेट की ओर से उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 3 मु. बज्जु ने यह प्रकरण दिनांक 29.10.12 को अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि चक 2 एमआरएम के मु.नं. 194/14 की 25 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन विनिमिय समिति की अनुशंषा के बिना किया गया है जो प्रकिया एवं नियमो के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नियम विरूद्ध किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

2. अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

3. तदन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि आवंटन विनिमिय समिति की अनुशंषा के बिना किया गया है जो प्रकिया एवं नियमो के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य है। दिनांक 04.06.07 को किये गये आवंटनो में आवंटन पर्ची पर सलाहकार समिति के सभी सदस्यो के हस्ताक्षर नहीं है। इसलिए आवंटन संदिग्ध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

5. अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता की बहस है कि जो रकबा अप्रार्थी को विनियम में आवंटन किया गया था वह रकबा उसी दिन एक अन्य भूतपूर्व सैनिक बक्शाराम पुत्र पूराराम कौम महला साकिन झाझड़ तहसील लक्ष्मणगढ़ को आवंटित किया गया है। विनिमय में आवंटित जिस रकबे पर 22(3) की कार्यवाही की गयी है। वह अप्रार्थी के पास नहीं है बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के पास है। अप्रार्थी के खिलाफ 22(3) की कार्यवाही नहीं बनती है। अतः नियम 22(3) की कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। स्टेट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी को विनिमय में वादगत भूमि का आवंटन किये जाने का उल्लेख किया है जबकि अप्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न भूमि प्रमाण पत्र तथा जमाबंदी में वादगत भूमि बक्शाराम पुत्र पूराराम कैम महला साकिन जाजड़ भूतपूर्व सैनिक के नाम खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार स्टेट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरोधाभाषी है यथा वादगत भूमि अप्रार्थी को आवंटित ही नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन(इगानप परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975 के नियम 22(3) विरोधाभाषी होने के कारण स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित नही पाते है।

7. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, बज्जु को भिजवाई जावे।

8. आदेश आज दिनांक **18.03.2020** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर